राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 4516/2022

पवित्रा देवी (कर्मचारी आई.डी.--आरजेएएल199202019433)

—अपीलार्थिया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2022
आदेश की दिनांक : 08.06.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थिया की ओर से श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित तथा निजी प्रत्यर्थिया की ओर से श्री सुर्य प्रकाश सिंह उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थिया की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थिया एएनएम को पद पर पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थिया अनुसुया को अपीलार्थिया के स्थान पर पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थिया को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरित नहीं किया गया है। अपीलार्थिया का यह भी कथन है कि अपीलार्थिया का आदेश दिनांक 08.08.2022 की पालना में पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में कार्यग्रहण किया था। इसके पश्चात अल्प अवधि में ही अपीलार्थिया के स्थान पर अन्य किसी को पदस्थापित किया गया है।
3. इस अपील में इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2022 के द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थिया के संबंध में विवादग्रस्त

आदेश दिनांक 02.09.2022 की पालना में अपीलार्थिया को कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश दिए गए थे तथा यह भी निर्देश दिए गए थे कि अपीलार्थिया को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था और अपीलार्थिया का वेतन आहरण भी वर्तमान स्थान से ही किया जाये।

4. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस प्रेषित किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. निजी प्रत्यर्थिया अनुसूईया की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उन्होंने कथन किया है कि अपीलार्थिया ने सही तथ्य इस अधिकरण के समक्ष नहीं रखे है। उनका कथन है कि अपीलार्थिया पीएचसी, मानका मुण्डावर, अलवर में 25 वर्षों से कार्यरत है। यह भी अंकित किया है कि पीएचसी सेंटर मानका मुण्डावर, पहले सबसेंटर था। आदेश दिनांक 13.09.2013 के द्वारा पीएचसी सबसेंटर को पीएचसी सेंटर में बदला गया एवं वहां पर 2 पद एएनएम के थे। जिनमें 1 पद पर अपीलार्थिया कार्यरत थी तथा दूसरे पद पर सरिता चौधरी कार्यरत थी। एएनएम का 1 पद दिनांक 18.01.2022 को समाप्त कर दिया गया। जिस पर अपीलार्थिया का स्थानांतरण पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर से सबसेंटर गांधीनगर किया गया। बाद में स्थानांतरण आदेश दिनांक 08.08.2022 के द्वारा अपीलार्थिया को सबसेंटर गांधीनगर से पुनः पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में पदस्थापित का दिया गया। परंतु पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में निजी प्रत्यर्थिया कार्यरत थी। जिस पर अन्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 25.08.2022 पारित किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थिया के स्थान पर अपीलार्थिया को पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थिया को पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में समंजित किया गया है। निजी प्रत्यर्थिया की ओर से प्रेषित प्रार्थना पत्र अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

6. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थिया की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया का स्थानांतरण सबसेंटर गांधी नगर से पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में दिनांक 08.08.2022 को किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 25.08.2022 के द्वारा अपीलार्थिया को पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में ही निजी प्रत्यर्थिया के स्थान पर लगाया गया था। बाद में आलोच्य आदेश के द्वारा पुनः निजी प्रत्यर्थिया को पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर लगाया गया जो अपीलार्थिया के स्थान पर लगाया गया, क्योंकि अपीलार्थिया के संबंध में कोई स्थानांतरण आदेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थिया को समंजित करने की दृष्टि से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थिया ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अल्प समय में ही स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थिया का यह भी कथन है कि अपीलार्थिया का पुत्र 50 प्रतिशत स्थाई निशक्त है। इस कारण से अपीलार्थिया का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं था। इसके विरूद्ध निजी प्रत्यर्थिया का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थिया 25 वर्ष से पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में कार्यरत है। केवल एक बार ही अपीलार्थिया का स्थानांतरण पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर से सबसेंटर गांधीनगर 2 में से 1 पद समाप्त हो जाने के कारण किया गया था। बाद में अपीलार्थिया को 6 माह पश्चात ही पुनः पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थिया पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में काफी समय से कार्यरत है। ऐसे में आलोच्य आदेश जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थिया का स्थानांतरण पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में किया गया था, वो उचित है। अपीलार्थिया का पुत्र शादी-शुदा है। जिसके संबंध में अपीलार्थिया का स्थानांतरण नहीं किये जाने के आधार अपीलार्थिया ने लिया है, वो उचित नहीं है।

7. इस तथ्य पर प्रत्यर्थी विभाग का कोई प्रत्युत्तर नहीं है कि अपीलार्थिया 25 वर्षों से पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में कार्यरत रही है।

8. वर्तमान में पीएचसी मानका मुण्डावर, अलवर में 1 एएनएम के पद पर 2 कार्मिक पदस्थापित है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार किये बिना प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देना उचित पाते हैं कि दोनों पक्षों अपीलार्थिया व निजी प्रत्यर्थिया के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं संबंधित नियम परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

9. दोनों पक्षों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को उचित आदेश पारित करने के लिए 2 माह का समय प्रदान किया जाता है। तब तक अपील में अंतरिम स्थगन आदेश यथावत् रहेगा।

10. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)